संख्या-127/2020/362/22-2-2020-17(752)/2019

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 30 मार्च, 2020***

विषय:-केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जावेद खान पुत्र श्री जलील खान, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-6069/प्रोबेशन-3/फार्म-ए(एम-26-02-2020) दिनांक-27-02-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी जावेद खान पुत्र श्री जलील खान, निवासी-अग्निहोत्री नगर, गढ़ी रोड, थाना-कोतवाली, जनपद-लखीमपुर खीरी का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 27.09.2005 को छेड़छाड़ करने की शिकायत किये जाने की रंजिश में तमंचे से गोली मारकर किरन सिंह नामक महिला की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-199, 200/2007 में भा0द0वि0 की धारा-302 व 3/25ए एक्ट के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी के आदेश दिनांक 15.04.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08.02.2019 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 16.10.2019 तक 14 वर्ष 00 माह 01 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष 10 माह 01 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी के मानसिक रूप से मनोविकृत होने, पूर्व में हत्या जैसा अपराध करने, भविष्य में अपराध करने की प्रबल संभावना होने, बन्दी व विपक्षी के घर 30 कदम की दूरी पर होने के कारण भविष्य में किसी भी घटना से इंकार नहीं किया जा सकता है तथा बन्दी की कारागार से रिहाई समाज के लिए घातक होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 27.09.2005 को छेड़छाड़ करने की शिकायत किये जाने की रंजिश में तमंचे से गोली मारकर किरन सिंह नामक महिला की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है, इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा, बन्दी की आयु लगभग 37 वर्ष है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ है, बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी के मानसिक रोगी होने तथा पूर्व में हत्या जैसा अपराध कर चुका है व भविष्य में अपराध करने की प्रबल संभावना होने, का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निदिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी जावेद खान पुत्र श्री जलील खान को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: प्रश्नगत प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ में योजित (क्रिमिनल) अपील संख्या-1099/2008 जावेद खान बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.02.2019 के अनुपालन में तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी जावेद खान (बन्दी संख्या-47460) पुत्र श्री जलील खान, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

संख्या-127/2020/362(1)/22-2-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद लखीमपुर खीरी।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्ंया-127/2020/362/22-2-2020-17(752)/2019

दिनांक 30 मार्च, 2020 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जावेद खान (बन्दी संख्या-47460) पुत्र श्री जलील खान, निवासी-अग्निहोत्री नगर, गढ़ी रोड, थाना-कोतवाली, जनपद-लखीमपुर खीरी का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 27.09.2005 को छेड़छाड़ करने की शिकायत किये जाने की रंजिश में तमंचे से गोली मारकर किरन सिंह नामक महिला की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-199, 200/2007 में भा0द0वि0 की धारा-302 व 3/25ए एक्ट के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी के आदेश दिनांक 15.04.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08.02.2019 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 16.10.2019 तक 14 वर्ष 00 माह 01 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष 10 माह 01 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी के मानसिक रूप से मनोविकृत होने, पूर्व में हत्या जैसा अपराध करने, भविष्य में अपराध करने की प्रबल संभावना होने, बन्दी व विपक्षी के घर 30 कदम की दूरी पर होने के कारण भविष्य में किसी भी घटना से इंकार नहीं किया जा सकता है तथा बन्दी की कारागार से रिहाई समाज के लिए घातक होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 27.09.2005 को छेड़छाड़ करने की शिकायत किये जाने की रंजिश में तमंचे से गोली मारकर किरन सिंह नामक महिला की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है, इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा, बन्दी की आयु लगभग 37 वर्ष है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ है, बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी के मानसिक रोगी होने तथा पूर्व में हत्या जैसा अपराध कर चुका है व भविष्य में अपराध करने की प्रबल संभावना होने, का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निदिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी जावेद खान पुत्र श्री जलील खान को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in